मानननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र.   /14 विविध   नि॰ - 327 - II - 15   108

रामचन्द्र पिता नंदाजी, जाति चमार,
निवासी—ग्राम पाड़सुतिया, तहसील खाचरौद
जिला उज्जैन ——— आवेदक

विरूद्ध

1— अनुविभागीय अधिकारी महोदय, खाचरौद
2— तहसीलदार महोदय, खाचरौद ———अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 12 एवम् आदेश 39 नियम 1 न्यायालय अवमानना

माननीय महोदय,

आवेदक निम्न प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है :—

01. यह कि, आवेदक की नियुक्ति विधिवत् अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13/03/2009 प्रकरण क्रमांक 6/अपील/08—09 में पारित आदेश के पालन में तहसीलदार महोदय द्वारा कोटवार पद पर नियुक्त किया था तभी से आवेदक कोटवारी का कार्य निरन्तर आज दिनांक तक करता चला आ रहा हैं । अनावेदक रूगनाथ ने उक्त आदेश के विरूद्ध एक अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोद्रय, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की थी । उक्त अपील में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक तरीके से विधान के विपरीत जाकर वैधानिक बिन्दुओं का निराकरण किये बगैर निरस्त कर दिया उस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय में एक रिव्यू आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा उसमें यह निवेदन किया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर का हैं तथा अन्य वैधानिक बिन्दुओं पर न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नही निकाला गया हैं इस कारण इस आदेश को रिव्यू कर उस पर विचार किया जायें ।

02. यह कि, उक्त रिव्यू आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नही करते हुए तथा उसका सही निराकरण किये बगैर मात्र यह लिख दिया कि पुनर्विलोकन का आधार नही होने से आवेदन अमान्य जिसके विरूद्ध आवेदक ने माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 374 (1)/2010 पर स्थापित होकर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया उस आदेश के पालन में आवेदक निरन्तर चौकीदारी का कार्य करता चला आ रहा हैं किन्तु माननीय न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के बाद भी अनावेदकगण ने माननीय न्यायालय के आदेश की अवेहलना करते हुए आवेदक को चौकीदार न मानते हुए चौकीदारी का वेतन देना बन्द कर दिया अनावेदकगण का उक्त कृत्य अवैधानिक होकर माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को माननीय

रामचंद्र / शासन

R 327-2016 उज्जैन

[illegible] 19.5.2017 Not press [illegible]	आवेदक की ओर से श्री दिनेश व्यास अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाये जाने के कारण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष